

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही

(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. नरेश कुमार पुत्र प्रभुराम, जाति- कुमावत, निवासी- गणेश नगर, बडगांव, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर)  
फर्म:- आबूरोड सुपर मार्केट, पारसीचाल, आबूरोड, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरौही
2. हितेश कुमार पुत्र प्रभुराम, निवासी-गणेश नगर, बडगांव, तहसील-शिवगंज, जिला-सिरौही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर)  
फर्म:- आबूरोड सुपर मार्केट, पारसीचाल, आबूरोड, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरौही
3. विदेश कुमार पुत्र प्रभुराम, निवासी- गणेश नगर, बडगांव, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरौही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)  
फर्म:- जी.पी.के.सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, गांधी चौराहा, सुमेरपुर, जिला-पाली

प्रकरण संख्या: 35/2020

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ”

उपस्थिति:


1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

-: निर्णय :-

दिनांक 31 जनवरी, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 24.10.2019 को 5.30 पी.एम. पर फर्म आबूरोड सुपर मार्केट, पारसी चाल, आबूरोड, जिला- सिरौही पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से नरेश कुमार पुत्र प्रभुराम, जाति- कुमावत, निवासी- गणेश नगर, बडगांव, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड)का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं सुपर मार्केट के अन्दर आलमारी की रैक में विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) के 85 पैकड पाउचेज (प्रत्येक 250 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) के 4 पैकड पाउचेज (प्रत्येक 250 ग्राम) पैकड पाउचेज जांच हेतु खरीदे एवं बादाम (गौरी ब्राण्ड) कीमत राशि रुपये 260/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1072, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम


.....पेज



*a*  
अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.

आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों खरीद शुद्ध नमूना पाउचों पर एक-एक लेबल गोद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1072 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाफे में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नरेश कुमार व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपड़ी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपड़ी से सिलड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 25.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 24.10.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोंही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोंही से खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नरेश कुमार से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) का नमूना S-1072 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान  
.....पेज तीन पर



a

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नामा उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 25.1.2022 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री कैलाश नामा ने उपस्थित होकर इस प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी के संबंध में हिदायत नहीं होना व्यक्त किया। प्रतिवादीगण को इस न्यायालय द्वारा तीन-तीन बार आवाजे लगावाई गई, लेकिन प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 25.1.2022 को ही श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई, जिन्होंने निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ किसमिस(गोपी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना किया जावे।

(3) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 24.10.2019 को 5.30 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म आबूरोड सुपर मार्केट, पारसी चाल, आबूरोड, तहसील- आबूरोड जिला- सिरौही पर गये। उक्त फर्म आबूरोड सुपर मार्केट में खाद्य कारोबारकर्ता व मैनेजर की हैसियत से नरेश कुमार पुत्र प्रभुराम, जाति- कुमावत, निवासी- गणेश नगर, बड़गांव, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म आबूरोड सुपर मार्केट के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्व करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड वॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता नरेश कुमार को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान के अन्दर अलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड)के 85 पैकड पाउचेज (प्रत्येक 250 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) के 4 पैकड पाउचेज (प्रत्येक 250 ग्राम) को नमूना जांच हेतु क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि 260/- (अक्षरे रुपये दो सौ साठ मात्र) विक्रेता नरेश कुमार को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता नरेश कुमार, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के कोड एवं

.....पेज चार पर



अ  
अति. नि. अधिकारी  
सिरौही-307001.

क्रमांक S-1072, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता नरेश कुमार व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1072 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता नरेश कुमार, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म आबूरोड सुपर मार्केट, पारसी चाल, आबूरोड में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर नरेश कुमार से खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल चपड़ी से सिलड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 25.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 24.10.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड)के नमूना संख्या S-1072 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./943/Act/2019/1028 दिनांक 26.11.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म आबूरोड सुपर मार्केट में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर नरेश कुमार से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) का नमूना S-1072 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने

.....पेज पांच पर



अ  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
जोधपुर

योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार किसमिस (गोपी ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर Batch No., पैकिंग तिथि व निर्माता का नाम व पता अंकित नहीं थे, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.2(6), 2.2.2(8) व 2.2.2(9) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/ 13337-39 दिनांक 23.12.2019 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति संबंधित को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारूप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म आबूरोड सुपर मार्केट, पारसी चाल, आबूरोड द्वारा खाद्य पदार्थ किसमिस (गोपी ब्राण्ड) के पैकड पाउचेज को टेक्स इनवोईस नम्बर 3966 दिनांक 09.10.2019 के द्वारा फर्म जी.पी.के. सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, गांधी चौराहा, सुमेरपुर से क्रय किया था, जो प्रतिवादी संख्या-3 की फर्म है। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-3 ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ बादाम (गौरी ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए हैं, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य सामग्री किसमिस (गोपी ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण प्रतिवादी हितेश कुमार पुत्र प्रभुराम, निवासी- गणेश नगर, बड़गांव, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, आबूरोड सुपर मार्केट, पारसी चाल, आबूरोड, तहसील- आबूरोड, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) एवं प्रतिवादी विदेश कुमार पुत्र प्रभुराम, निवासी- गणेश नगर, बड़गांव, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म जी.पी.के.सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, गांधी चौराहा, सुमेरपुर, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी हितेश कुमार तथा विदेश कुमार को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही